© UNIVERSAL RESEARCH REPORTS | REFEREED | PEER REVIEWED
ISSN : 2348 - 5612 | Volume : 08 , Issue : 04 | October - December 2021

कौटिलीय अर्थशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में अपराध और दण्ड–नीति में नारी

डॉ० विजय देवी
E-mail : boorasurender08@gmail.com

शोध–आलेख सार

कौटिल्य का विचार था कि उचित न्याय व्यवस्था के लिये सरकार द्वारा न्याय की समुचित व्यवस्था करनी चाहिये, ताकि लोगों के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा को जा सके। उन्होंने कहा था कि मनुष्य को स्वधर्म का पालन करना चाहिये। परन्तु अनेकों परिस्थितियों से उत्पन्न विकृत्तियों के कारण मनुष्य धर्म से विचलित हो कर पथ भ्रष्ट हो जाता था और इस कारण व्यक्ति के लिये समाज में न्याय एवं दण्ड व्यवस्था आवश्यक है। न्याय. कार्य को उन्होंने दो भागों में बांटा था। मानव जीवन के जो मनुष्यों के पारस्परिक सम्बन्धों से सम्बन्धित होते थे। उन विवादों को सुनकर निर्णय कर दण्ड धर्मस्थीय न्यायालयों का कार्य होता था। मानव जीवन का दूसरा भाग जिसमें मनुष्य के कार्य समाज व राज्य के विरूद्ध होते थे उनके वादों को सुनना व निर्णय कर दण्ड कण्टकपोधन न्यायालय द्वारा दिया जाता था। धर्मस्थीय न्यायालय के न्यायधीशों को 'धर्मस्थ' या व्यावहारिक कहते थे इसमें तीन न्यायधीश होते थे। कण्टकशोधन न्यायालयों के न्यायधीशों को 'प्रदेष्टा' कहा जाता था। इसमें भी तीन न्यायधीश होते थे। इन न्यायालयों को आधुनिक समय में क्रमशः दीवानी व फौजदारी कहा जा सकता है। वैसे तो मौर्य काल में सबसे छोटा न्यायालय ग्राम का व सबसे बड़ा राजा का न्यायालय होता था।

मुख्य शब्दः दंड दंड नीति, अपराध, साम्राज्य, लोक कल्याण, गनिका, व्यवस्था ।

कौटिल्य का विचार था कि उचित न्याय व्यवस्था के लिये सरकार द्वारा न्याय की समुचित व्यवस्था 'करनी चाहिये, ताकि लोगों के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा की जा सके[1]। उन्होंने कहा था कि मनुष्य को स्वधर्म का पालन करना चाहिये। परन्तु अनेको परिस्थितियों से उत्पन्न विकृतियों के कारण मनुष्य धर्म से विचलित हो कर पथ भ्रष्ट हो जाता था और इस कारण व्यक्ति के लिये समाज में न्याय एवं दण्ड व्यवस्था आवश्यक है। [2] न्याय कार्य को उन्होंने दो भागों में बांटा था। मानव जीवन के जो मनुष्यों के पारस्परिक सम्बन्धों से सम्बन्धित होते थे। उन विवादों को सुनकर निर्णय कर दण्ड धर्मस्थीय न्यायालयों का कार्य होता था। मानव जीवन का दूसरा भाग जिसमें मनुष्य के कार्य समाज व राज्य के विरूद्ध होते थे उनके वादों को सुनना व निर्णय कर दण्ड कण्टकषोधन न्यायालय द्वारा दिया जाता था। धर्मस्थीय न्यायालय के न्यायधीशों को 'धर्मस्थ' या व्यावहारिक कहते थे इसमें तीन न्यायधीश होते थे। [3] कण्टकशोधन न्यायालयों के न्यायधीशों को 'प्रदेष्टा' कहा जाता था।[4] इसमें भी तीन न्यायधीश होते थे। इन न्यायालयों को आधुनिक समय में क्रमशः दोवानी व फौजदारी कहा जा सकता है। वैसे तो मौर्य काल में सबसे छोटा न्यायालय ग्राम का व सबसे बड़ा राजा का न्यायालय होता था। कौटिल्य के मत के अनुसार, दोषी को उसके दोष के अनुसार ही दण्ड दिया जाना चाहिये व निर्दोश उसके अधिकार दिलाने की चेष्टा की जानी चाहिये। न्याय के क्षेत्र में मध्यस्थता को बहुत महत्व दिया जाता था। न्याय साक्षियों के साक्ष्यों के आधार पर किया जाता था[5] मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पूर्व बौद्ध क्रान्ति हो चुकी थी। अहिंसा का प्रभाव दण्ड पर भी पड़ा था। अतः कौटिल्य मृदुदण्ड के पक्षपाती थे। उनके अनुसार दण्ड के दुश्प्रयोग से राजाओं का सदा नाश हुआ और अच्छी दण्ड व्यवस्था से ही प्रजा को त्रिवर्ग की प्राप्ति होती है। उन्होंने प्रजा के सुख को सर्वोच्च स्थान दिया है। वास्तव में दण्ड राज्य की है और धर्म उसका उद्देश्य कौटिल्य के अनुसार, दण्ड वह साधन था जिसके द्वारा आप्धीक्षको प्रयो (तीनों वेदो) एवं बालों का स्थायित्व तथा रक्षण होता था, जिसमें दण्ड नियमों की व्याख्या होती थी। यही दण्डनीति थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दण्डनीति

का भी वर्णन मिलता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में यह वर्णन किया है कि दण्ड की कठोरता से राजा सबका कोपभाजक हो जाता था, किन्तु दण्ड के बिना लोग न करने योग्य कार्य करने लगते थे। अतः सोच–विचार कर सही रूप में दण्ड का प्रयोग होना चाहिए। दण्ड को परिभाषाः जिस उपाय से मनुष्य दुराचार से निबूत और सदाचार में प्रयुक्त होता था. उसे दण्ड कहते थे और जिससे दमन किया जाता था, उस उपाय अथवा साधन का नाम भी दण्ड ही था ये दण्ड के दो रूप दिखाती थी, एक तो यह कि जो अपराधी को दण्डित करता था व अपकारक को निर्णय दिलाता था। कौटिल्य ने दण्ड और दण्डनीति पर जो व्याख्या अर्थशास्त्र में की है, उसका तात्पर्य भी यही है कि लोक रक्षा व लोक–कल्या कौटिल्य के मत के अनुसार, दोषी को उसके दोष के अनुसार ही दण्ड दिया जाना चाहिये व निर्दोश उसके अधिकार दिलाने की चेष्टा की जानी चाहिये। न्याय के क्षेत्र में मध्यस्थता को बहुत महत्व दिया जाता था। न्याय साक्षियों के साक्ष्यों के आधार पर किया जाता था

मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पूर्व बौद्ध क्रान्ति हो चुकी थी। अहिंसा का प्रभाव दण्ड पर भी पड़ा था। अतः कौटिल्य मृदुदण्ड के पक्षपाती थे। उनके अनुसार दण्ड के दुश्प्रयोग से राजाओं का सदा नाश हुआ और अच्छी दण्ड व्यवस्था से ही प्रजा को त्रिवर्ग की प्राप्ति होती है। उन्होंने प्रजा के सुख को सर्वोच्च स्थान दिया है। वास्तव में दण्ड राज्य की है और धर्म उसका उद्देश्य कौटिल्य के अनुसार, दण्ड वह साधन था जिसके द्वारा आफ्धीक्षको प्रयो (तीनों वेदो) एवं बालों का स्थायित्व तथा रक्षण होता था, जिसमें दण्ड नियमों की व्याख्या होती थी। यही दण्डनीति थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दण्डनीति का भी वर्णन मिलता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में यह वर्णन किया है कि दण्ड की कठोरता से राजा सबका कोपभाजक हो जाता था, किन्तु दण्ड के बिना लोग न करने योग्य कार्य करने लगते थे। अतः सोच–विचार कर सही रूप में दण्ड का प्रयोग होना चाहिए। दण्ड को परिभाषाः जिस उपाय से मनुष्य दुराचार से निबूत और सदाचार में प्रयुक्त होता था. उसे दण्ड कहते थे और जिससे दमन किया जाता था, उस उपाय अथवा साधन का नाम भी दण्ड ही था ये दण्ड के दो रूप दिखाती थी, एक तो यह कि जो अपराधी को दण्डित करता था व अपकारक को निर्णय दिलाता था। कौटिल्य ने दण्ड और दण्डनीति पर जो व्याख्या अर्थशास्त्र में की है, उसका तात्पर्य भी यही है कि लोक रक्षा व लोक–कल्या कोरिल्य के अनुसार, दण्डद्वारा तीनों एवं स्थायित्व तथा रक्षण होता मा. जिसमेण्डनियमों को होती हीति थी। के अर्थशास्त्र में दण्डनीति का भी वर्णन मिलता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्रका की कठोसे जाबका कोपभाजक हो जाता था, किन्तु दण्ड के बिना लोगन करने योग्य कार्य करने थे। अतः सोच–विचार कर सही रूप में दण्ड का प्रयोग होना चाहिए।

दण्ड की परिभाषाः जिस उपाय से मनुष्य दुराचार से निवृत और सदाचार में प्रवृत होता था उसे कहते थे और जिससे दमन किया जाता था. उस उपाय अथवा साधन का नाम भी दण्डही था। दण्ड के दो रूप दिखाती थी, एक तो यह कि जो अपराधी को करता था अपकारक को उचित निर्णय दिलाता था। कौटिल्य ने दण्ड और दण्डनीति पर जो अर्थशास्त्र में है, उसका तात्पर्य भी यही है कि लोक रक्षा व सोक–कल्याण के लिए न्यायपूर्वक दण्ड की अनिवार्यता से कोई इन्कार नहीं कर सकता।[6]

दण्ड के उद्देश्य का मुख्य उद्देश्य जनता में भय फैलाना नहीं होता था बल्कि निरापराध व्यक्तियों और स्वधर्म पालकों को अत्याचारियों और भ्रष्ट व्यक्तियों से रक्षा करना होता था। मूल रूप से दण्ड के तीन उद्देश्य बताए गए थेः पहला, मानव को सहज प्रवृत्ति प्रतिशोध की भावना को नियन्त्रित करना एवं उस भावना को सन्तुष्टि प्रदान करना दूसरा भविष्य में अपराधों को होने से रोकना थाके भ दण्डित व्यक्ति के कष्ट को देखकर लोग

अपराध विमुख होगें और धर्म का अनुसरण करेंगे। तीसरा प आत्म पुद्धि था। कौटिल्य का मत था दण्ड अपराधी को ऐसे स्थान पर दिया जाना चाहिए, जहां से इस प्रकार का समाचार जनता में पोच पहुंच जाए और लोग स्वतंत्रों से अपराधी का कष्ट देखे। जहां से कुछ चिन्ह अपराधी के ललाट पर अंकित करने की बात कहप्रकार का समाचार जनता में पोच पहुंच जाए और लोग स्वतंत्रों से अपराधी का कष्ट देखे। जहां से कुछ चिन्ह अपराधी के ललाट पर अंकित करने की बात कहते थे, जिससे अपराधी लज्जावरा भविष्ण में काम नहीं करेगा व दूसरे लोग उसकी दुर्दशापूर्ण स्थिति के भय से अपराध नहीं करेंगे।[7] कोटिल्य का मत था कि विधिपूर्वक पास्त्र से जानकर प्रयुक्त किया हुआ दण्ड प्रजा को धर्म और काम से युक्त करता था। यदि दण्ड का प्रयोग सर्वधा रोक दिया जाए तो जिस प्रकार बड़ी मछली छोटी मडलियों को खा जाती है, उसी तरह बलवान व्यक्ति निर्वतों को कष्ट पहुंचाने लगेगे। दण्ड के द्वारा राजा से पालन किए हुए चारों वर्ण और आश्रमों के सम्पूर्ण लोग अपने धर्म में लगे हुए बराबर उचित मार्ग पर चलते रहते थे।

दण्ड धारी: दण्ड को धर्म माना गया था। अतः वही दण्ड देने का अधिकारी हो सकता था, जो धर्मानुकूल आचरण करे।[8] इसलिए अर्थशास्त्र में निर्देश था कि दण्ड का प्रयोग विवेक से किया जाना चाहिए। अनुचित दण्ड से प्रजा आतंकित होती थी एवं राज्य का मूल शिथिल होने लगता था। आदर्श रूप में दण्ड केवल यहाँ राजा धारण कर सकता था, जो सम्पूर्ण गुणों से युक्त होता था।

दण्ड के प्रकार[9]

1. अर्थदण्डः– अपराधी को किसी अपराध करने कारण जुनाने के रूप में हजनि के रूप में जो धन राजा को देना पड़ता था, वही अर्थदण्ड कहलाता था। कौटिल्य भी अर्थदण्ड को राजकोष वृद्धि का सा न मानते थे।
2. शारीरिक दण्डः– कौटिल्य ने पारीरिक दण्ड के अनेक रूप बताए हैः वेत मारना, उल्टा लटकाना, रस्सी एवं कोड़े से मारना, हाथ–पैर आदि अंगों को कटवाना, नाक में नमक का पानी डालना, परीर के नरम स्थानों को छेदना, ननों में सुइयों को चुर्भाना, जाड़े में भीगो खाट पर सुलाना आदि। कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र दण्ड के मामलों में काफी कठोर नियम निर्देशित करता था।
3. बघनागार दण्डः– कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में बधनागार के विभिन्न पक्षों का विस्तृत वर्णन किया है। बधनागार कहां और कैसा हो, फौन–कौन अधिकारी हो, उनके क्या अधिकार और कर्तव्य हो, कारागार के क्या नियम हो, वहां के अधिकारी यदि बंदियों के साथ दुर्व्यवहार करें तो उन्हें क्या दण्ड दिया जाएञ[10] अपराधी यदि सद्व्यवहार करे तो उसके साथ क्या उदारता बरती जाए, स्त्रियों को अलग रखा जाए और वृद्धो एवं रोगियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाएञ कारागार में बाल अपराधी भी रखे जाते थे बंदियों को पूर`अनुशासन में रहना पड़ता था। उनसे पारीरिक श्रम के कार्य लिए जाते थे। स्त्रियों के प्रति कौटिल्य का दृष्टिकोण निश्चित हो उदारवादी था क्योंकि उनके समय तक स्त्रियों की वह स्वतन्त्रता नहीं रही थी जो कि मातृसत्ता युग में व आदि समाज व्यवस्था के युग में थी जैसे–2 सामन्तवाद का विकास होता गया वैसे–2 स्त्रियों के प्रति समाज में कठोर नियन्त्रण व प्रतिबन्ध बढ़ता गया। अतः फिर भी उनका दृष्टिकोण स्त्रियों के प्रति सहानुभूति पूर्ण भावना का था। इसकी झलक हमें उनके अर्थशास्त्र में दण्डनीति में कई स्थानों पर मिलती है।

स्त्रियों से सम्बन्धित अपराधों के दण्ड :– 12 वर्ष से ऊपर की लड़की किसी राजनियम का उल्लंघन करती थी तो उसे 12 दण्ड दिया जाता था। स्त्रियों के प्रति सहानुभूति पूर्ण भावना का था। इसकी झलक हमें उनके अर्थशास्त्र में दण्डनीति में कई स्थानों पर मिलती है। स्त्रियों से सम्बन्धित अपराधों के दण्ड वर्ष से ऊपर की लड़की किसी राजनियम का उल्लंघन करती थी तो उसे 12 दण्ड

दिया जाता था। [11] यदि कोई पत्नी मंदिरापान करती आचरण अनैतिक होता तथा जो अपने पति के प्रति घृणा प्रकर्ट करती थी, जो दुष्ट प्रवृति की होती थी या अपनी सम्पत्ति का दुरूपयोग करती थी. उसे उसका पति तलाक दे सकता था और उसके स्थान पर दूसरी पत्नी ला सकता था।[12] कन्या से बलात्कार करने वाले के लिए कठोर दण्ड का विधान था। यदि कोई पुरुष किसी अप्राप्त फल (कुंवारी) कन्या से बलात्कार करता था और इस कारण उसको मृत्यु हो जाती थी तो उसे मृत्युदण्ड दिया जाता था। कोई पुरूष किसी कन्या से उसकी इच्छा के विरुद्ध कदापि सहवास नहीं कर सकता था, यदि कन्या की इच्छा होती तब भी उससे सहवास करना कानून के अनुसार दण्डनीय था। योनिक्षीणता दिखाने के लिए, दूसरे का रूधिर अपने कपड़ो पर लगाने वाली स्त्री को 200 पण दण्ड लगाया जाता था।[13]

स्त्री–पुरुष को जबरदस्ती बांधने, वैधवसने वाले और राजाज्ञा से बंधे हुए स्त्री–पुरुष की छोड़ने या छुड़वाने वाले स्त्री या पुरुष को 500 पण से लेकर 1000 पण तक का दण्ड दिया जाता था।[14] विष देकर हत्या करने वाली स्त्री को जल में डुबा कर मार दिया जाता था।[15] यदि हत्या करने वाली स्त्री गर्भवती होती थी तो बच्चा पैदा होने के एक महीने बाद उसे मार दिया जाता था। सम्भोग की इच्छा से कोई स्त्री यदि अपने समान जाति वाले पुरुष से योनिक्षत करवाती थी तो उसे 12 पण का दण्ड दिया जाता था। यदि वह स्वयं ही अपनी योनि को क्षत करती थी तो उसे 24 पण का दण्ड दिया जास्त्रियों के प्रति सहानुभूति पूर्ण भावना का था। इसकी झलक हमें उनके अर्थशास्त्र में दण्डनीति में कई स्थानों पर मिलती है।। स्त्रियों से सम्बन्धित अपराधों के दण्ड दिया जाता था और पुरुष को स्त्री सम्भोग शुल्क देती थी।[16] किसी स्त्री का पति विदेश गया होता था ऐसी स्त्री यदि व्याभिचार करती थी तो पति का भाई या उसका कोई नौकर आदि उस स्त्री को नियम में रखने का वर्णन मिलता है। उनके नियंत्रण में रहकर वह स्त्री अपने पति के आने की प्रतीक्षा करती थी। यदि पति आने पर उसे क्षमा कर देता था तो वह दण्ड से बरी हो जाती थी। यदि पति क्षमा नहीं करता था तो उसके नाक–कान काट दिए जाते थे और जार को मृत्यु दण्ड दिया जाता था।

यदि गणिका किसी के साथ कठोरता का बर्ताव करती थी तो उसे चौबीस पण दण्ड लगाया था और यदि वह हाथ–पैर या लाठो आदि से मार कर किसी के साथ कठोरता का व्यवहार करती थी तोपहले से दुगना अर्थात अड़तालास पण दण्ड लगाया जाता था। अगर वह किसी का कान आदि काट देती थी तो 96 पण का दण्ड दिया जाता था। जिन गणिकाओं को राजा के समीप छंत्र भण्डार आदि का अधिकार प्राप्त होता था जो राजकीय वाराज्याएं होने उनको मारने धाड़ने वाले पुरुष को निष्क्रय से तीन गुना 72000 पण दण्ड लगाया जाता था। माता–लड़की रूपदासी को मारने–पीटने पर उत्तम साहस दण्ड लगाया जाता था। इसके अलावा जो गणिका राजा की आज्ञा होने पर भी किसी पुरूष विशेष के पास नहीं जाती थी तो उसको एक हजार कोड़े लगाए जाते थे या उसे शारीरिक दण्ड ने देकर उस पर 5000 जुर्माना किया जाता था और यदि कोई गणिका किसी पुरूप से अपने भांग का वेतन लेकर उसके साथ द्वेष करती थी तो उसके लिए भोग वेतन से दुगना दण्ड उसको लगाया जाता था। रात्रि सम्भोग का वेतन लेकर गणिका उस रात को बहाने से हो रात बिता देती थी तो उसको 8 गुणा दण्ड लगाया जाता था। यदि पुरूष को कोई ऐसा संक्रामण रोग होता था या अन्य किसी प्रकार का उसमें दोष होता था तो सम्भोग न करने पर भी गणिका अपराधीन होती थी। जो गणिका सम्भोग के लिए वेतन लेकर पुरूष को मार डालती थी, उसको उस पुरूष के साथ ही चिता में रखकर जीते जी जला दिया जाता था या गले में शिला बान्ध कर जल में डूबो दिया जाता था। गणिका अपने भोग आमदनी तथा अपने साथी सहवास करने वाले पुरुष की सूचना गणिकाध्यक्ष को बराबर देती रहती थी। यदि कोई पुरुष मामी, मौसी, बुआ, बहन, बेटी, गुरू पत्नी, पुत्रवधू आदि के साथ व्याभिचार करतास्था उसके लिंग और कोकाटकर उसे प्राण दण्ड दिया जाता था। यदि कोई गाम, मोसी, बुआ, बहन, बेटी, गुरु पनी पुत्रवधू

स्वयं व्याभिचार करती थी तो उसके दोनों स्तन काटकर उसे प्राण दण्ड दिया जाता था। सन्यासिनी कामातुर होकर किसी के साथ सम्भोग करती थी तो उसे 24 पर दिया जाता था।[17]

यदि कोई निषेध किए जाने पर भी के साथ म आदि पोती और काम फ़ौदा करती हो उसे तुर्मान के तौर पर 3 पण दण्डलिया जाता था और अगर दिन में किसी स्त्री के साथ चिपेटर आदि में जाने पर 6 पण दण्ड लगाया जाता था और अगर किसी पुरुष के साथ नाटक आदि में जाने की तो 12 पदण्ड लगाया जाता था और अगर यही सारे रात में भी करती थी तो उससे दुगना दण्ड लगाया जाता था।[18] इसी प्रकार यदि कोई भी होते हुए या उन्मत्त हुए अपने पति को छोड़कर घर से बाहर पति की के विरुद्ध घर का दरवाजा करी थी तो उसको 12 पण दण्ड लगाया जाता था। यदि स्त्री अपने पति को रात्रि में घर नहीं आने देती या आको घर से निकाल देवी भी उप की को 24 पण दण्ड लगाया जाता था। पुरूषों का मेन के लिए इशारेबाजी करने पर एकाना में इसी विषय की बात करने पर को 24 लगाया जाता था बन्द कमरे में जाने पर तथा दांत और नख के भिन्न होने पर को पूव ंसहमद लगाया और पुरुष को आसे दुगना अगर कोई चडाल अपराधी औरत होती थी तो उससे एक बाजू की ओर 15 को अगर यही तो फोड़े के बदले पण जुर्माना लगाया जाता था। इसी प्रकार अगर कोई रोके जाने पर पुरुष रोके जाने पर भी परस्पर एक दूसरे का उपकार करते थे तो उनमें स्त्री को 12 पण दिया जाता उस बड़ी बड़ी चीजों के लेने पर 24 पण दण्ड और यह मानायकाका मेने पर 54 पण जाता था [19] और पुरुष को स्त्री से दुगनाड लगापा जातो से आपस आपा उनको भी हुई स्त्री कोया जाता दिकिसो भय के कारण भागी होतो तो कोई भी पतिकूल से भागी हुई स्त्री को 6 पण दण्ड लगाया जाता था। यदि वह किसी भय के कारण भागी होती थी तो कोई दोष नहीं माना जाता था। यदि रोकने पर भी कोई स्त्री घर से चली जाती थी तो 6 पण दण्ड लगाया जाता था। अगर बिना आजा अपने पड़ोसी को अपने घर में स्थान देती भिखारी को भीख देने और व्यापारी को किसी तरह का माल देने पर स्त्री को 12 पण दण्ड लगाया जाता था। यदि कोई स्त्रीप्रसिद्ध व्यक्तियों के साथ यही व्यवहार करती थी तो उसे प्रथम साहस दण्ड लगाया जाता था। यदि वह बतलाय हुए परिमित अपने समीप के घरों से बाहर अतिरिक्त स्थानों में जाती थी तो उसे 24 पण दण्ड लगाया जाता था। दूसरे पुरुष की स्त्री को यदि उस पर कोई आपत्ति नहीं होती थी तो उसे 12 पण दण्ड लगाया जाता था। पति के से भागकर दूसरे गांव में जाने पर स्त्री को 12 पण दण्ड लगाया जाता था और उसके नाम से जमा की गई हुई पूंजी तथा आभूषण भी जब्त कर लिये जाते थे। गमन योग्य पुरुष के साथ जाने पर 24 पण दण्ड लगाया जाता था और पति के साथ होने वाले यज्ञ आदि धर्म के सब कार्यों से उसे बहिष्कृत कर दिया जाता था। कोई स्त्री वेतन लेकर भी काम न करती थी तो उसका अंगूठा कटवा दिया जाता था। सभी कार्य करने वाले कर्मचारियों को अपराध के अनुसार वेतन सम्बन्धी दण्ड दिया जाता था। किसी पुरुष को विष देकर मारने वाली और पुरुष की हत्या करने वाली स्त्री को जल में डुबोकर मार दिया जाता था परन्तु वह स्त्री गर्भिणी होती थी तो बच्चा होने के कम से कम एक महीने बाद दुबोकर मार दी जाती थी। अपने पति, गुरु तथा बच्चे की हत्या करने वाली, आग लगाने वाली, विप देने वाली तथा सेंध लगाकर चोरी करने वाली स्त्री को गायों के पैरों के नीचे कुचलवाकर मार दिया जाता था

यदि कन्या के किसी गुप्त दोष को छिपाकर जो पुरूप उसे ब्याह देता था उसको 96 पण दण्ड लगाया जाता ए और पुल्क तथा स्त्रीधन उस से वापस लिया जाता था। इसी प्रकार जो वर के दोष को छुपाकर विवाह करता था। तो उसे 192 पण दण्ड लगाया जाता था। इसके अलावा उसका दिया हुआ पुल्क तथा स्त्रीधन भी जब्त कर लिया जाता था। अध्ययन के बाद यही निष्कर्ष निकलता है कि कौटिल्य ने समाज में व्यवस्था मार दी जाती थी। अपने पति, गुरु तथा बच्चे की हत्या करने वाली, आग लगाने वाली, विप देने वाली तथा सेंध लगाकर चोरी करने वाली स्त्री को गायों के पैरों के नीचे कुचलवाकर मार दिया जाता था[20] यदि

कन्या के किसी गुप्त दोष को छिपाकर जो पुरूप उसे ब्याह देता था उसको 96 पण दण्ड लगाय जाता ए और पुल्क तथा स्त्रीधन उस से वापस लिया जाता था। इसी प्रकार जो वर के दोष को छुपाकर विवाह करता था। तो उसे 192 पण दण्ड लगाया जाता था। इसके अलावा उसका दिया हुआ पुल्क तथा स्त्रीधन भी जब्त कर लिया जाता था।

निष्कर्ष :– अध्ययन के बाद यही निष्कर्ष निकलता है कि कौटिल्य ने समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो दण्डनीति बनाई थी उसमें नारों के प्रति उसको विशेष सहानुभूति थी। परन्तु फिर भी दण्डनीति का आधार व्यवहारवादी ही था।

–संदर्भ

1.वी. ए. स्मिथ, प्राचीन भारत का इतिहास, पृ. 133
2.इकबाल नारायण, भारतीय राजनीतिक विचारक, पृ. 74
3. कौटिलीय अर्थशास्त्र, 3/1
4.कौ. अ., 4/1
5.भगवती प्रसाद पांथरी, मौर्य साम्राज्य का इतिहास, पृ. 122
6.नताशा अरोड़ा, प्राचीन भारत में न्याय व्यवस्था, पृ. 35
7.भगवती प्रसाद पांथरी, मौर्य साम्राज्य का इतिहास, पृ. 123
8.कौ. अ., 1/3
9.वी. ए. स्मीथ, प्राचीन भारत का इतिहास, पृ. 133
10.कौ. अ., 4/9
11.कौ. अ., 3/2
12.कौ. अ., 3/3
13.कौ. अ., 4/12
14.कौ. अ., 3/17
15.कौ. अ., 4/11
16.कौ. अ.,, 4/12
17.कौ. अ., 4/13
18.विद्यालंकार सत्यकेतु, मौर्य साम्राज्य का इतिहास, पृ. 220
19.कौ. अ., 3/3
20.कौ. अ., 4/11